FORM NO. III
फर्दअहकाम
(नियम– 26)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर धोरीमन्ना–बाड़मेर

प्रा0पत्रसं0 90 / 2025
GCMS NO 2025/224

उनवान: भंवरलाल बनाम अशोक कुमार

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र फतेहराज जाति महेश्वरी निवासी धोरीमना पटवार मण्डल धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान		01. अशोककुमार पुत्र कृपालदास जाति दर्जी निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। 02. कमलादेवी पत्नी भंवरलाल जाति महेश्वरी निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। 03. धर्मेन्द्र पुत्र राजकुमार जाति महेश्वरी निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। 04. ललिता पत्नी राजकुमार जाति महेश्वरी निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। 05. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना जिला बाड़मेर।

किस्म मुकदमा:– राजस्व वाद अन्तर्गत 49,89(ख),88,53,188 रा.क.अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिश्यिल्स जज आदेशिका	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
18.07.2025	वादी के वकील श्री देवाराम चौधरी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा **49,89(ख),88,53,188**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो बाद जांच दर्ज रजिस्टर हो। तहसील कार्यालय में तामिल कुनिदा का पद रिक्त होने के कारण वादी वकील विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड एडी प्रस्तुत करें। पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी का इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 21.07.2025 को पेश हो। (भागीरथराम) सहायक कलेक्टर धोरीमना सहायक कलक्टर SDO धोरीमना पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील ने प्रतिवादीगण के सम्मन तामिली रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिशल हो। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 4 की ओर से श्री रामनिवास विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिशल हो। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम प्रस्तुत किया जो शामिल [illegible] किया गया। पत्रावली में वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र [illegible] प्रस्तुत किया जो शामिल मिशल किया [illegible] साक्ष्य शपथ प[illegible] जो [illegible] अन्तर्गत प्रदर्शित किये गए। उभयप[illegible] वास्ते आपसी आदेश 23 नियम 03 स[illegible] का पेश कर समझौता / राजीनामा अनुसार डिक्री जारी [illegible] किया गया जिसे स्वीकार पत्रावली में आज ही बहस का निवेदन किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर पत्रावली में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा / समझौता अनुसार वाद में डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi Date: 2025.09.29 14:13:22 IST Reason: SelfAttested	Dharmendra कमलादेवी ललिता वकील

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन,अध्ययन किया। पत्रावली में यह निर्विवाद तथ्य है कि उभयपक्ष प्रस्तुत समझौता अनुसार वाद को निस्तारित करने पर सहमत है।

अतः वादी का वाद आपसी समझौता के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल मिशल हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार धोरीमना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(भागीरथराम)
सहायक कलक्टर
धोरीमना

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:22 IST
Reason: SelfAttested